

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक: एफ. 7(4)RGS/अकाद/आकाशि/2021/8470

दिनांक 16.06.2023

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय:- राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर अकादमिक एक्सीलेंस-2021 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा आय घोषणा पत्र जारी किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- शासन उप सचिव, राजस्व (गुप-1) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.13 (34) राज. /गुप-1/2012, दिनांक 09.08.2012 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर अकादमिक एक्सीलेंस-2021 के क्रम में समेकित दिशानिर्देश (संलग्नक-1) दिनांक 08.06.2023 को जारी किये गये हैं। इन समेकित दिशानिर्देशों के प्रावधान 8 (iv) के अनुसरण में अभ्यर्थियों/अभिभावकों को उनकी समस्त स्रोतों से परिवार की आय का घोषणा पत्र सलंगन किया जाना है।

उपरोक्त योजना में आपके जिले से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के क्रम में आपके जिले से सम्बन्धित अभ्यर्थियों /अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आय घोषणा पत्र (संलग्नक-2) को तहसीलदार/उप जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालक मजिस्ट्रेट) के द्वारा 03 दिवस में सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(भवानी सिंह देथा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: एफ. 7(4)RGS/अकाद/आकाशि/2021/8471
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक 16.06.2023

1. निजी सचिव, मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, अकादमिक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त नोडल अधिकारी, आरजीएस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bhavani Singh Detha
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.06.16 12:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4072918



राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-1)विभाग

क्रमांक: प.13(34)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 3.8.2012

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त
राजस्थान
2. समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान

:- परिपत्र :-

राज्य में तहसील एवं अन्य स्तरों पर जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों के संबंध में आ रही कठिनाईयों एवं प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 1.8.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये जाने हेतु राजस्व विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आय प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अमल में लाई जानी है :-

1. राजस्व अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का आय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, अपितु प्रार्थी/आवेदक स्वयं द्वारा अपनी आय का उदघोषणा पत्र प्रस्तुत किया जावेगा, जिसके समर्थन में आवेदक का प्रमाणित शपथ-पत्र व दो उत्तरदायी व्यक्तियों की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी
2. दो उत्तरदायी व्यक्तियों में (संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/ प्रधान/ जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वाड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी) होंगे। उक्त उदघोषणा के अभिकथन का प्रमाणीकरण किया जायेगा।
3. आवेदक/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आय उदघोषणा पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-- 'आई' एवं शपथ-पत्र का प्रारूप-संलग्न परिशिष्ट-- 'जे' अनुसार होगा। (परिशिष्ट संलग्न हैं)
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उदघोषणा के अभिकथन का प्रमाणीकरण कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार)/नोटेरी पब्लिक द्वारा किया जायेगा। जिला कलक्टर द्वारा इस हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के मध्य कार्य विभाजन किया जा सकेगा।
5. आयकर रिटर्न भरने की दशा में गत वर्ष के आयकर रिटर्न की पावती का

23.8.12

29.03
17.8.12
LR

सत्य प्रतिलिपि एवं पैनकार्ड की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

6. बीपीएल कार्ड धारकों के लिये बीपीएल कार्ड को ही आय के लिये मान्य समझा जावेगा, उनसे पृथक से आय प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त वर्णित प्रारूप/आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। सम्पूर्ण राज्य में उदघोषणा पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप एक समान होगा। परिपत्र में वर्णित निर्देशों की पालना कराना सुनिश्चित करावे।

आज्ञा स

ह

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव, मा० मुख्य सचिव
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी उच्च शिक्षा विभाग
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग
9. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर
10. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

शासन उप सचिव

आय का घोषणा – पत्र

आवेदन सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु से चयन करें)

नवीनतम फोटो
चिपकायें

01. प्रार्थी का नाम :

02. पिता का नाम :

03. निवास स्थान का पूर्ण पता :-

(क) वर्तमान पता :

(ख) स्थान पता :

04. गांव/शहर तहसील जिला

05. जन्म दिनांक जन्म स्थान उम्र

06. लिंग पुरुष महिला वैवाहिक स्थिति विवाहित अविवाहित

07. धर्म (आवेदक) जाति उपजाति

08. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है ? हाँ नहीं

09. क्या आप आयकर दाता हैं ? हाँ नहीं

10. मोबाईल नम्बर

11. पेन कार्ड होने की दशा में पेन कार्ड नम्बरएवं आयकर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।

12. टिन नम्बर होने की दशा में टिन नम्बरएवं वाणिज्य कर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।

13. परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक आय का विवरण:-

क्र.स.	सदस्य का नाम	उम्र	मुखिया से सम्बन्ध	आय/व्यवसाय व उसकी प्रकृति	वार्षिक आय (रुपये)

अन्य स्रोत से आय (यथा मकान किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फण्ड, विदेश में/से प्राप्त आय).....

14. उक्त तथ्यों के सत्यापन स्वरूप दो उत्तदायी व्यक्तियों की साक्ष्य प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ पत्र संलग्न करें।

मैं तस्दीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

दिनांक :

स्थान :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

नवीनतम फोटो
चिपकायें

मैंपुत्र/पुत्री /पत्नी श्री
उम्र.....वर्ष, निवासी तहसीलजिला.....
राज्य शपथ पूर्वक निम्न बयान करता/करती हूँ कि -

01. यह है कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष) के प्रमाण स्वरूप में उद्घोषणा करती है।
02. यह है कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष) के तथ्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है-

क्र. स.	परिवार के सदस्य का नाम	व्यवसाय	प्रार्थी से सम्बन्ध	वार्षिक आय ;रुपये में
1	2	3	4	5
	योग			

03. यह है कि मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा धारित भूमि/व नोशनल शेयर के धारित कुल भूमि का विवरण इस प्रकार है-

गांव का नाम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	सिंचित / असिंचित	वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6

04. यह है कि मेरे परिवार में अन्य स्रोतों से आय निम्न प्रकार है -

क्र. सं.	आय के अन्य स्रोत (यथा भवन सम्पत्ति किराया, ब्याज, पेंशन, म्यूच्यूलफण्ड, विदेश में/से प्राप्त आय आदि से आय)	वार्षिक आय
1	2	3
	कुल समस्त वार्षिक आय	चरण (पैरा) 2,3,4 का योग

05. यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे परिवार की कुल/ समस्त वार्षिक आय रुपये अक्षरों रुपये हैं।
06. यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषित करत/करती हूँ कि मेरे परिवार के किसी सदस्य ने विगत में उक्त अंकित वार्षिक आय से भिन्न आय किसी प्रयोजनार्थ नहीं दर्शायी है तथा नहीं इस बाबत कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।
07. यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषित करत/करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है कि इस होना भारती दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि शपथ पत्र की चरण संख्या 1 से 7 मेरी निजी जानकारी से लिखाया गया है जो सही है ! इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

हस्ताक्षर पहचानकर्ता

1.
2.

(नाम, पता, स्थान व दिनांक)

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता नाम..... पिता का नाम

जाति उम्र वर्ष, निवासी ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है जिसे प्रमाणीकृत किया जाता है। प्रार्थी की पहचान के द्वारा की गई है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी (कार्यपालक मजिस्ट्रेट)
का नाम व पद मय सील

उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारियों) के साक्ष्य प्रमाण पत्र

(i) गवाह

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम पद.....

पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि

प्रार्थी/प्रार्थीया..... पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार जानता हूँ इनकी वार्षिक आय..... रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है ।

हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह

नामदिनांक

(ii) गवाह

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम पद.....

पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि

प्रार्थी/प्रार्थीया..... पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार जानता हूँ इनकी वार्षिक आय..... रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है ।

हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह

नामदिनांक